झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 345/2023

बिंदेश्वर कुमार उर्फ राहुल कुमार उर्फ भालू, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- टेकमन राम, निवासी- सेक्टर 9सी स्ट्रीट-18 क्वार्टर नं./94, डाकघर- सेक्टर IX, थाना.- हरला, जिला- बोकारो (झारखंड) -827009 **.....याचिकाकर्ता**

बनाम

झारखंड राज्य **....विरोधी पक्षकार**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री बृज बिहारी सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री पंकज कुमार, पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति, श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दो नो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दायर की गई है, जिसमें हरला थाना कांड संख्या 89/2021 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को, जो कि जी.आर. संख्या 1097/2021 के समरूपी है, को अभिखंडित करने और साथ ही दिनांक 26.11.2021 के संज्ञान लिए जाने के आदेश, जिसके तहत विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ भा.दं.सं. की धारा 366 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है, जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र, जिसमें पुलिस ने सबूतों के अभाव में याचिकाकर्ता को विचारण के लिए नहीं भेजा था, से मतभिन्नता ज़ाहिर करते हुए संज्ञान लिया है, को भी अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी का क़रीबी दोस्त है और उक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी पीड़िता से प्यार करता था और याचिकाकर्ता ने पीड़िता को, जो 21 साल की एक वयस्क महिला है, भगाने में दिलीप

कुमार उर्फ छोटू मांझी की सहायता की थी। मामले के अन्वेषण के बाद पुलिस ने पीड़िता का द.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान पर विचार किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त को उसे बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में सहायता की थी। मामले की अन्वेषण के दौरान परीक्षित स्वतंत्र गवाहों ने कहा है कि घटना के समय याचिकाकर्ता बिहार में था, जिसकी पुष्टि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट से भी हुई, जिससे यह स्थापित हुआ कि याचिकाकर्ता 25.06.2021 से 30.06.2021 तक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, (रोहतास) में था, इसलिए पुलिस ने याचिकाकर्ता को विचारण के लिए न भेजकर पूरक अंतिम प्रपत्र (फइनल फॉर्म) दाखिल किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण के उस पहलू पर विचार नहीं किया जिसमें पुलिस ने याचिकाकर्ता को 25.06.2021 से 30.06.2021 तक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर (रोहतास) में उपस्थित पाया, जबकि अभिकथित घटना 28.06.2021 को झारखंड राज्य के बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर IX बी में हुई थी, और याचिकाकर्ता के सम्बंध में भी, पुलिस के अंतिम प्रपत्र से मताभिन्न हो कर, संज्ञान ले लिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब विद्वान मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र (फाइनल फॉर्म) से मतभिंन्न होता है, तो उसे ऐसा करने के लिए ठोस कारण बताना चाहिए, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए, यह निवेदन किया गया कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही सम्बंधित हरला थाना कांड सं.89-2021 के साथ-साथ समरूपी जी.आर. संख्या 1097/2021 में दिनांक 26.11.2021 को लिए गए संज्ञान के आदेश को याचिकाकर्ता के सम्बंध में अभिखंडित एंव अपास्त किया जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान पी.पी. ने संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ हरला थाना कांड सं. 89/2021 के साथ समरूपी जी.आर. संख्या 1097/2021 के संबंध में दिनांक 26.11.2021 को लिये गये संज्ञान के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि जैसा कि पीड़िता ने द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने में सहायता की थी और मामले के अन्वेषण के दौरान अन्य गवाहों ने भी इसका समर्थन किया है, इसलिए, यह अपराधिक विविध याचिका बिना किसी गुण-अवगुण (मेरिट) के होने की वजह से खारिज किया जाना चाहिए।

6. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, निर्विवादित तथ्य यह रह जाता है कि पीड़िता एक वयस्क महिला है और किसी भी गवाह द्वारा याचिकाकर्ता के किसी विशेष भूमिका को अनुदेशित नहीं किया गया है कि किस तरह उसने सह-अभियुक्त द्वारा पीड़िता के व्यपहरण में सहायता की है, इस इरादे

से कि उसे मजबूर किया जा सके या यह जानते हुए कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, और निर्विवाद तथ्य यह भी रह जाता है कि याचिकाकर्ता 25.06.2021 से 30.06.2021 तक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर (रोहतास) में था और अभिकथित घटना 28.06.2021 को झारखंड राज्य के बोकारो में हुई थी। द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता को केवल यह बताया था कि सह-अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी पीड़िता के लिए एक नौकरी की व्यवस्था करेगा, इसलिए वह उसके साथ जा सकती है, लेकिन पीड़िता के खुद का यह स्वीकार्य मामला है कि 28.06.2021 को जब वह सह-अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी के साथ बोकारो स्टेशन से ट्रेन से गई थी, तो याचिकाकर्ता उनके हमराह नहीं था। पीड़िता का यह भी स्वीकार्य मामला है कि सह-अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी द्वारा उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के बाद वह कुछ दिनों तक सह-अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी के साथ गुजरात में रही और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह उनके साथ था।

7. ऐसी परिस्थितियों में और इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता बोकारो या किसी भी स्थान पर मौजूद नहीं था, जहाँ पीड़िता सह- अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ छोटू मांझी के साथ थी, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो ने मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र से मतभिन्न होकर घोर अवैधता की है, इसलिए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, यह न्यायालय का सुविचारित राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहाँ पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ हरला थाना कांड संख्या 89/2021 के संबंध में समरूपी जी.आर. संख्या 1097/2021 में लिए गए दिनांक 26.11.2021 के संज्ञान आदेश को याचिकाकर्ता के सम्बंध में अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाए।

8. तदनुसार, हरला थाना कांड संख्या 89/2021, समरूपी जी.आर. संख्या 1097/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और दिनांक 26.11.2021 को लिया गया संज्ञान आदेश, याचिकाकर्ता के संबंध में, अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के संबंध में यह आपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्या.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची दिनांक 4 मार्च, 2024
स्मिता/AFR

यह अनुवाद शबनम (पैनलR अनुवादक) द्वारा किया गया।